LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, August 12, 2025 / Sravana 21, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 12, 2025 / Sravana 21, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 321 – 327)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 328 – 340)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 3681 – 3910)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, August 12, 2025 / Sravana 21, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, August 12, 2025 / Sravana 21, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

ANNOUNCEMENT BY HON'BLE SPEAKER 281 - 83

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 283

PAPERS LAID ON THE TABLE 283 - 89

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 290

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 291
13th to 17th Reports

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 291
33rd Report

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 292
3rd to 5th Reports

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL 292
9th to 11th Reports

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 293
191st to 194th Reports

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 293
367th Report

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO STARRED QUESTION NO. 165 DATED 11.03.2025 RE: (I) BENEFICIARIES UNDER IGNDPS, AND (II) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWER – LAID 294

Shri Shivraj Singh Chouhan

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 190TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE – LAID 294

Shri Jitin Prasada

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST AND 7TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID 295

Shri Ram Nath Thakur

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON 'CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY – NINTH AMENDMENT) BILL, 2024 AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2024' -- EXTENSION OF TIME 295

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 296 - 308

Shri Atul Garg 296

Shri Ashish Dubey 296

Shri Damodar Agrawal 297

Shri Haribhai Patel 297

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 298

Shri Vishnu Dayal Ram 298

Shri Dilip Saikia 299

Shri Praveen Patel	**299**
Shri Rodmal Nagar	**300**
Shri Naveen Jindal	**300**
Shrimati Manju Sharma	**301**
Shrimati Sanjna Jatav	**301**
Adv. Dean Kuriakose	**302**
Dr. Bachhav Shobha Dinesh	**302**
Shri V.K. Sreekandan	**303**
Shri Satpal Brahamchari	**303**
Shri Harendra Singh Malik	**304**
Shri Devesh Shakya	**304**
Shri Arun Nehru	**305**
Shri Krishna Prasad Tenneti	**305**
Shri Rajesh Verma	**306**
Shri Amra Ram	**306**
Shri Sudhakar Singh	**307**
Shri Rajesh Ranjan	**307**
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	**308**
INDIAN PORTS BILL	**309 - 18**
Motion for Consideration	**309**
Shri Sarbananda Sonowal	**309 & 316 - 17**
…	**310**
Shri Dilip Saikia	**311 - 12**
Shri Sribharat Mathukumilli	**313**

Shri Darshan Singh Choudhary	**314 - 15**
Motion for Consideration – Adopted	**317**
Consideration of Clauses	**318**
Motion to Pass	**318**
MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL	**319 - 32**
Motion for Consideration	**319**
Shri G. Kishan Reddy	**320 – 21 & 330 - 31**
Shrimati Malvika Devi	**322 - 24**
Shri G. Lakshminarayana	**325 - 26**
Shri Maddila Gurumoorthy	**327**
Shri Brijmohan Agrawal	**328**
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	**329**
Motion for Consideration – Adopted	**332**
Consideration of Clauses	**332**
Motion to Pass	**332**
BILL INTRODUCED	**333**
Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill	
MOTION RE: REFERENCE OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMEN) BILL TO SELECT COMMITTEE	**334**
Shrimati Nirmala Sitharaman	
…	**335 - 36**

(1100/VVK/AK)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 321)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 321 - श्री बजरंग मनोहर सोनवणे।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे (बीड) : सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) पर चर्चा होनी चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह डिलीट कर दीजिए।

… (व्यवधान)

(इति)

1101 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

(प्रश्न 322)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 322. श्री तनुज पुनिया।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 323)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 323.

श्री विजय कुमार हाँसदाक

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

1102 बजे

(इस समय श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, श्री अभय कुमार सिन्हा, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

(प्रश्न 324)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 324 – श्री कुंदुरु रघुवीर।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 325)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 325

डॉ. तिरूमावलवन थोलकाप्पियान

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 326)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 326.

श्री मनोज तिवारी।

… (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपना प्रश्न पूछने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। … (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस योजना का कार्यान्वयन दिल्ली में नहीं किया जा रहा है।… (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के लिए पीएमएवाईजी के अतिरिक्त प्रधान मंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना जैसा कोई विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को भी मौका मिल सके? … (व्यवधान) मंत्री जी के सवाल बहुत विस्तृत रूप से आए हैं और मैं उनसे संतुष्ट भी हूँ, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को मकान हेतु 1,20,000 रुपए का अनुदान और 70,000 रुपए ऋण मात्र तीन प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। … (व्यवधान)

कृपया मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या सरकार द्वारा ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने एवं उन्हें लाभ दिलाने हेतु किसी सरकारी पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह ग्राम स्तर पर जाकर नियमित सर्वेक्षण एवं जागरुकता अभियान चलाएँ, ताकि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो सके? … (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, in Delhi, they have never been participating in Awaas Yojana – Gramin. … (*Interruptions*) However, they have been participating in the Urban Scheme. … (*Interruptions*) For Delhi, so far,

Central assistance of Rs. 692 crore has been approved. … (*Interruptions*) Ever since the new Government has come, they are free to contact us and participate in our Rural Scheme and we will be happy to provide. … (*Interruptions*) Thank you. … (*Interruptions*)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा पुनः एक प्रश्न है, जिसके द्वारा मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों में अब तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं और ये निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरे हो सकेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब के क्या कारण रहे हैं? इसके साथ ही ऐसे राज्यों में जो पात्र एवं गरीब लाभार्थी अब भी इससे वंचित हैं, उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या विशेष कदम या कार्य-योजना अपनाई जा रही है?

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, ever since Modi ji has come to power, the Government of India has systematically allocated houses for the entire rural community who deserve it. … (*Interruptions*) We have given three crore houses based on the 2011 Socio-Economic Caste Census data and 2018 Awaas+ Survey. … (*Interruptions*)

(1105/SRG/VB)

Based on 2024 Awaas Survey, another two crore houses have been sanctioned by the Cabinet. … (*Interruptions*) A total of five crore houses have been sanctioned by the Cabinet under Modi Ji's Government. … (*Interruptions*) Out of five crore houses, 4.12 crore houses have been allotted to respective States/Union Territories, out of which 3.84 crore houses have been sanctioned and more than 2.80 crore houses have been completed. … (*Interruptions*)

Sir, if you look at the figures, over the last 10 years, the Central share released was Rs. 2.71 lakh crore, compared to that of 2013-14. … (*Interruptions*) During the ten-year tenure of UPA Government, only Rs. 66,000 crore was given. … (*Interruptions*) So, we are working on giving these houses on a saturation mode by converging every possible Government scheme. … (*Interruptions*)

The 2024 Awas Survey has two unique features. Number one, it has e-KYC, which means anybody can stand on their land and take a photograph. Based on this photograph, e-KYC authentication and self-registration are possible. … (*Interruptions*) This has happened for the first time in India that no eligible candidate has been withheld of a deserving house. An individual can self-register. … (*Interruptions*) We have plenty of houses to be given. So, I request all the States and officials to do self-registration and survey and participate. We are happy to give as many houses as possible. … (*Interruptions*) (ends)

(pp. 5-30)

(प्रश्न 327)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 327, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1108 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/SJN/SM)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 21 जुलाई, 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है :-

"यह सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

(1.) दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के सक्रिय नियंत्रण और कब्जे में नई दिल्ली, स्थित 30, तुगलक क्रिसेंट परिसर, में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण।

(2.) हमें 15 मार्च, 2025 की सुबह 30, तुगलक क्रिसेंट, नई दिल्ली से जली हुई नकदी/धन/मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है।

(3.) हमने सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्य एवं अन्य [(1995) 5 एससीसी 457] केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के साथ-साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 'एक्स' बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। [(2015) 4 एससीसी 91]।

और यह कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 'एक्स' (सुप्रा) के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यतः और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित "इन-हाउस प्रक्रिया" का पालन किया।

(1205/DPK/GM)

(4.) यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाली घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 'एक्स' [सुप्रा] के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 - सदस्यीय समिति का गठन किया।

(5.) हमें यह भी ज्ञात है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। यह स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 'एक्स' [सुप्रा] के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।

(6.) उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वनजिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदगी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय/बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है।

और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्यवाही और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए।

(7.) अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए।

(1210/SPS/GTJ)

इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए, मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 की धारा 3 की उप-धारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तीन सदस्यों वाली एक समिति गठित की है:–

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय,
3. श्री बी. वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय।

समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1211 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण**,** मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(<u>व्यवधान</u>)

1211 बजे

<u>(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1211 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, श्री जितिन प्रसाद।

…(<u>व्यवधान</u>)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.374(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1563(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 या यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के स्थान पर 1 जुलाई, 2025 से प्रतिबंध के बारे में है।

(दो) का.आ.2920(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिवीजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर 1 जुलाई, 2025 से देशभर में प्रतिबंध के बारे में है।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 19 फरवरी,

2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.884(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1368(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1815 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एल्युमीनियम और एल्युमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2021(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 16 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2682(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) और का.आ.2683(अ) (केवल हिंदी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) घरेलू, वाणिज्यिक और समान विद्युत उपकरण सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2232(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2283(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3385(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2863(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची-I (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 71 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे

में है।

(दो) का.आ.2887(अ) जो दिनांक 27 जून, 2025के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के बारे में है।

(तीन) का.आ.2951(अ) जो दिनांक 1 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को जारी रखने के बारे में है।

(चार) का.आ.2952(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल सोडा ऐश के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त को बढ़ाए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ.3290(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-I (आयात नीति) के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत को कतिपय वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबंध के संबंध में दिनांक 27 जून, 2025 की अधिसूचना संख्या 21/2025-26 के शुद्धिपत्र के बारे में है।

(छह) का.आ.3459(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 40/2024-25 के शुद्धिपत्र के बारे में है ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution: -

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (4 of 2025) on Accounts of the Union Government (Financial Audit), Ministry of Finance, for the year 2022-23.

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India -Union

Government (7 of 2025) - Economic and Service Ministries (Compliance Audit – Civil) for the period ended March 2022.

(3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (8 of 2025) on the Activities of Indian National Centre for Ocean Information Services (Compliance Audit – Civil), Ministry of Earth Sciences.

(4) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (9 of 2025) - (Railway Finances), Ministry of Railways, for the year ended March 2023.

(5) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (11 of 2025) (Compliance Audit) – Department of Revenue (Indirect Taxes – Customs), for the year ended March 2022.

(6) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (12 of 2025)– Performance Audit Report on E-Way Bill System under GST - Indirect Taxes – Goods and Services Tax, Department of Revenue, for the year ended March 2024.

(7) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (13 of 2025) on Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects (Performance Audit) – Ministry of New and Renewable Energy.

(8) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (16 of 2025) on Accounts of the Union Government (Financial Audit), Ministry of Finance, for the year 2023-2024.

(9) Union Government-Appropriation Accounts of Defence Services for the year 2023-2024.

(10) Appropriation Accounts - Part I – Review, Ministry of Railways (Railways Board), for the year 2023-24.

(11) Appropriation Accounts - Part II – Detailed Appropriation Accounts, Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2023-24.

(12) Appropriation Accounts - Part II – Detailed Appropriation Accounts (Annexure – G), Ministry of Railways (Railways Board), for the year 2023-24.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 4, श्री रामदास अठावले जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Hon. Speaker, Sir, I lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2022-2023 and 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Babu Jagjivan Ram National Foundation, New Delhi, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 5, श्री राम नाथ ठाकुर।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कीटनाशक (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कीटनाशक (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) का.आ.2703(अ) जो 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कतिपय

संशोधन किए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 6, श्री भागीरथ चौधरी जी।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1212 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 7, श्री जॉर्ज कुरियन जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005: -

  (i) The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.33(E) in Gazette of India dated 9th January, 2024.

  (ii) The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.750(E) in Gazette of India dated 4th December, 2024.

  (iii) The Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008 published in Notification No. 10 in weekly Gazette of India dated 14th March, 2008.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 8, महासचिव जी।

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam, I have to report following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 8th August, 2025 adopted the following Motion regarding filling up of a casual vacancy in the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024:-

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint one Member to the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 in the vacancy caused by the retirement of Shri P. Wilson from the membership of the Rajya Sabha and communicate to the Lok Sabha the name of the Member so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri P. Wilson, be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancy. "

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025 agreed without any amendment to the Merchant Shipping Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2025."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 2025 agreed without any amendment to the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on 5th August, 2025."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 9, श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

13वां से 17वां प्रतिवेदन

1213 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदया, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' से संबंधित अंतिम निर्णय के लिए सीओपीयू को संदर्भित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (नौं) पैरा (ओं) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के बारे में 2023 के प्रतिवेदन संख्या 16 के पैरा संख्या 4.2 की लेखापरीक्षा आधारित जांच संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(4) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन ।

(5) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 10, श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

33rd Report

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I rise to present the Thirty-third Report (Hindi and English versions) (Eighteenth Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (2025-26) on the subject 'Levy and regulation of fees, tariffs, user charges etc. on public infrastructure and other public utilities' - MoRTH and NHAI.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 11, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे।

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

3rd to 5th Reports

SHRI SUNIL DATTATREY TATKARE (RAIGAD): Madam, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas:-

(1) Third Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the First Report (18th LS) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2024-25) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the MoPNG.

(2) Fourth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Twenty-fourth Report (17thLS) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2023-24) on the subject 'Litigations Involving Oil PSUs'.

(3) Fifth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Twenty-third Report (17th LS) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2023-24) on the subject 'Review of Policy on Import of Crude Oil'.

… (*Interruptions*)

(1215/RCP/RHL)

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

9th to 11th Reports

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Madam, with your permission, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel:-

(1) Ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 1st Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2024-25) relating to the Ministry of Coal.

(2) Tenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 2nd Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2024-25) relating to the Ministry of Mines.

(3) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 3rd Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2024-25) relating to the Ministry of Steel.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

191st to 194th Reports

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Madam, I rise to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

(1) 191st Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eighty-ninth Report on Demands for Grants (2025-26) (Demand No. 10) of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

(2) 192nd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Ninetieth Report on Demands for Grants (2025-26) (Demand No. 11) of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

(3) 193rd Report on 'Indian Leather Industry: Current Analysis and Future Prospects'.

(4) 194th Report on 'Performance Evaluation and Review of some Commodity Boards'.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

367th Report

DR. HEMANG JOSHI (VADODARA): Madam, with your kind permission, I rise to lay the 367th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Three Hundred Fifty-eighth Report on 'Research based Education and Anusandhan scenario in Sciences and related fields'.

… (*Interruptions*)

तारांकित प्रश्न संख्या 165 के दिनांक-11.03.2025 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने हेतु वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

(i) विषय : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के बारे में, और

(ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण।

1217 बजे

कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : माननीय सभापति महोदया, मैं (एक) डॉ. कल्याण वैजनाथराव काले, संसद सदस्य द्वारा दिनांक-11.03.2025 को 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी' के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-165 (अंग्रेजी संस्करण) के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 190th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE – LAID

1218 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Respected Madam, with your permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 190th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2025-2026) (Demand No. 11) pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

… (*Interruptions*)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के पहले और सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखे गए

1218 बजे

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। ...(व्यवधान)

(2) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

… (व्यवधान)

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON 'CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-NINTH AMENDMENT) BILL, 2024 AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2024' – EXTENSION OF TIME

1218 hours

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Madam, with your permission, I rise to move the following motion:-

> "That this House do extend time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the 'Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024' upto the first day of last week of the Winter Session, 2025."

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1219 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे तुरंत व्यक्तिगत रूप से मामले के अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Hassle-free resolution of discrepancies under GST

श्री अतुल गर्ग (गाजियाबाद) : मैं आपका ध्यान वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में कुछ व्यावहारिक कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। GST लागू होने के बाद देश में व्यापार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान स्वरूप मिला है और विकास की गति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किन्तु कुछ अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपनी कलम को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी छोटे तकनीकी कारण या ड्राइवर की त्रुटि से ट्रक पकड़ा जाता है, तो खरीदार या विक्रेता को सैकड़ों किलोमीटर दूर से बुलाकर, दो से तीन दिनों तक रोक कर, दो से तीन गुना TAX जमा कराया जाता है। अधिकांश मामलों में यह जमा राशि बाद में वापस कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत, कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जाती है, उनके खरीदारों को अनुचित कारणों से बुलाकर, कागज़ जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशानी में डाला जाता है।

मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में 5-10% की समीक्षा व्यापारी कल्याण बोर्ड या इसी प्रकार के संगठनों द्वारा की जाए। यदि जांच में अधिकारियों की गलती पाई जाती है, तो सम्बंधित अधिकारियों पर भी उचित दंड लगाया जाए।

(इति)

Re: Need to promote MICE tourism in Jabalpur, Madhya Pradesh

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है, कि भारत MICE पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है,सरकार MICE उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बना रही है एवं बुनियादी ढाँचे का विकास कर रही है,गुजरात जैसे राज्य में MICE पर्यटन को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने का सफल प्रयोग हुआ । मै सरकार से मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर को MICE पर्यटन केंद्र बनाए जाने का निवेदन करता हूँ। जबलपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र होने के साथ साथ व्यावसाय एवं पर्यटन का भी बड़ा केंद्र हैं। अतः जबलपुर में केंद्र बनने से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, एवँ महाराष्ट्र प्रदेश के लोग भी लाभान्वित होंगे। इस क्षेत्र में MICE पर्यटन के विकास से यहां का आर्थिक विकास होगा, होटल एवं खानपान सहित पूरे सर्विस सैक्टर एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर उत्पन्न होंगे जिससे राजस्व उत्पन्न होगा,यह विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाने सहित नेटवर्किंग और व्यावसायिक सहयोग बढ़ेगा, ज्ञान का आदान-प्रदान होगा एवं रोजगार सृजन भी होगा। कृपया जबलपुर में MICE पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना पर सरकार विचार करे।

(इति)

Re: Need to start air services under RCS-UDAN Scheme at Hamirgarh airstrip in Bhilwara, Rajasthan

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा स्थित हमीरगढ़ हवाईपट्टी को सरकार द्वारा उड़ान दस्तावेज में असेवित हवाई पट्टियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है तथा क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करने के लिए 5 चरण पूरे होने तक आर.सी.एस. - उड़ानों के परिचालन के लिए हमीरगढ़ हवाईपट्टी को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग किसी भी एयरलाइन को अवार्ड नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2019 में उड़ान 4.0 योजना के दौरान बोलियां प्राप्त हुई थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हमीरगढ़ हवाईपट्टी को जोड़ने की बोली, एयरलाइनों को अवार्ड नहीं की जा सकी भीलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "वस्त्र नगरी" के रूप में ख्याति प्राप्त कर बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित है, यहाँ भारी संख्या में व्यापारियों और उद्योगपतियों का आवागमन है। लेकिन हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर हवाई सेवा उपलब्ध न होने के कारण या तो 135 किलोमीटर दूर उदयपुर एयरपोर्ट या फिर 250 किलोमीटर दूर जयपुर एयरपोर्ट से आवागमन करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी होती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि हमीरगढ़ हवाईपट्टी पर क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सहित प्रमुख शहरों की हवाई सेवा शुरू की जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya at BSF campus in Mahesana Parliamentary Constituency

श्री हरीभाई पटेल (महेसाणा) : मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र में मात्र एक ही केन्द्रीय विद्यालय संगठान के अन्तर्गत एक मात्र केन्द्रीय विद्यालय ओ.एन.जी.सी. कैम्पस में संचालित किया जा रहा है। जहां मेहसाणा लोकसभा मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यालय में अन्य विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तथा क्षेत्र की जनता की लम्बे समय से मांग है कि मेहसाणा लोकसभा में बी0एस0एफ0 कैम्पस में रह रहे कर्मचारियों/अधिकरियों के बच्चों व अन्य क्षेत्रीय बच्चों के लिए नये केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र के बी.एस.एफ. कैम्पस में नये केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए तथा केन्द्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाने पर विचार कर शीध्र ही नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to increase green cover in the cities

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : हमारे देश के नगर दिनों दिन प्रदूषित हो रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन जिसकी प्राथमिक रूप से आवश्यकता है की भी कमी है। हमारे देश में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ रहा है और यह मानव जीवन के लिए हानिकारक बनती जा रही है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण बीमारियां फैल रही हैं और भवनों के अंधाधुंध निर्माण के कारण मानव जीवन कठिन होता जा रहा है।

हमारे शहरों को अधिक ऑक्सीजन मिलने का एकमात्र तरीका अधिक पेड़ उगाना है परंतु फुटपाथ कंक्रीट से ढकी हुई है और इसलिए शहरों में पेडों को उगाना कठिन हो गया है। वृक्ष वीथियां भारतीय शहरों में अब मुश्किल से देखने को मिलती हैं। हमारे शहरों में जो पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और वर्तमान व्यवस्था में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वे पेड़ों को रसायन डालकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन परिस्थितियों में, हमारे शहर को स्वच्छ हवा पहुंचाने के लिए "शहरी वन" एकमात्र रास्ता है। अब से, नगरों को शहरी वन बनाए जाने के लिए पर्याप्त जगह के साथ बसाने की योजना बनायी जानी चाहिए और लोगों के आवास के लिए भवनों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए भूमि अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूमि के अनुपात में निर्धारित की जानी चाहिए । इससे न केवल हमारे शहरों को ऑक्सीजन मिलेगी वरन् पक्षियों के लिए हरित शेल्टर मिलेगा और निवासियों को आराम के क्षण बिताने के लिए जगह मिलेगी।

शहरों में जो मकान बनते हैं उनकी प्लाटिंग की जाती है। उस समय हर मकान के चारों तरफ वृक्षारोपण का प्रबंध किया जाना चाहिए । शहरी नगर निगम तथा अन्य निकायों द्वारा वनों में तथा ग्राम पंचायतों के दायरे में जो बंजर भूमि है वहां पर भी छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएं।

(इति)

Re: Need to provide employment to people displaced due to Rajhara coal mines in Palamu Parliamentary Constituency and also resume mining activities therein

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बंद पड़ी रजहरा कोलियरी को खुलवाने हेतु वर्ष 2014 से ही इस मामले को मैं इस सदन में उठा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि रजहरा कोलियरी को खोलने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है और हर तरह की व्यवस्था भी की जा चुकी है कि केवल 20 विस्थापितों को नौकरी दी जानी है जिसपर अटॉर्नी जनरल की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है। अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रजहरा कोलियरी में विस्थापितों के नौकरी देने से संबंधित मामले का निराकरण कराते हुए उक्त कोलियरी में अविलंब उत्खनन का कार्य प्रारंभ कराने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to restore stoppage of trains at railway stations in Darrang-Udalgiri Parliamentary Constituency

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : कोरोना महामारी काल के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा देशभर में सभी तरह की रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हालात सामान्य होने के बाद देश में रेल सेवाओं को पुन: शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ यात्री ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया है या उनके पुराने ठहरावों को बंद कर दिया गया है। कोरोना काल में बंद की गई इन यात्री ट्रेनों के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र दरांग-उदलगुड़ी (असम) समेत देशभर के सामान्य और ग्रामीण क्षेत्र के रेल यात्रियों को आवागमन हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेल सुविधाओं के अभाव में इन लोगों को अन्य महंगे साधनों से यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें इनके समय और धन की बर्बादी होती है। रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दरांग-उदलगुड़ी के अंतर्गत Khoirabari, Tangla, Udalguri & Majbat समेत अन्य हाल्ट स्टेशनों पर सभी एक्स्प्रेस और यात्री ट्रेनों के ठहरावों को जल्द से जल्द पुन: शुरू किया जाए और गाडी संख्या 15961/15962, 22411/22412 व 15929/15930 का Majbat रेलवे स्टेशन पर ठहराव मंजूर किया जाए।

(इति)

Re: Need to develop 'Acupressure Shodh Prashikshan Evam Upchar Sansthan' in Prayagraj, Uttar Pradesh as a Centre of Excellence

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं।इस हेतु एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना की आवश्यकता है। क्षेत्र के लोगों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए एक्यूप्रेशर की सेवाएं प्रदान करना बहुत जरूरी है। इससे प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रुप में विकसित किया जाय जिससे यह शोध प्रशिक्षण संस्थान न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर सके बल्कि समाज में स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सके।

(इति)

Re: Need to sanction construction of Ujjain-Jhalawar railway line

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरे लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ मध्यप्रदेश की प्रस्तावित झालावाड-से उज्जैन नवीन रेललाईन को स्वीकृति दिये जाने की मांग निरंतर की जा रही हैं। देश भर के प्रसिद्ध ज्योर्तिलिंग महाकालेश्वर उज्जैन से घोसला, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा (माता बगलामुखी मंदिर) होते हुए सोयत तक कें क्षेत्र को पहली बार रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। इसकें साथ ही उज्जैन से दिल्ली के लिये सीधा, सस्ता व समय की बचत वाला अतिरिक्त रेलमार्ग उप्लब्ध होगा ,जो कि उज्जैन, आगर-मालवा, झालवाड़ क्षेत्र के अंतर्राज्यीय व्यापार, व्यवसाय, पर्यटक आवागमन व धार्मिक सर्किट के रूप में महत्वपूर्ण होगा। अतः जनहित में प्रस्तावित उज्जैन से झालावाड़ रेललाईन के निर्माण की स्वीकृति देकर अनुगहित करें।

(इति)

Re: Central University Status to Kurukshetra University in Haryana

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Demand to grant the status of a Central University to Kurukshetra University, Haryana. I rise to draw the attention of this august House and the Honourable Minister of Education to a long-standing and meritorious demand from the people of Haryana. Kurukshetra University, established in 1956 on the sacred land of the Bhagavad Gita, is the oldest and most prestigious university in the state. For over 65 years, it has been a beacon of excellence in teaching and research. Its credentials speak for themselves: it has been awarded the highest A++' grade by NAAC and has been ranked 8th among all State Universities in the country in Category-I by the Ministry of Education itself, which also granted it full academic autonomy. Sir, this university is not just a state asset; it is a national treasure. It has already embraced the vision of the National Education Policy 2020, fostering multidisciplinary learning and skill development. Granting Central University status to Kurukshetra University would be a fitting recognition of its exceptional track record and immense potential. It would attract national and international talent to this historic region, boost research, and fulfill the aspirations of millions. Therefore, I urge the Central Government to take immediate steps to elevate Kurukshetra University to the status of a Central University.

(ends)

Re: Need to appoint an agency for monitoring and ensuring safety and security of public parks in cities

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : देश के हर ऱाज्य में बड़े-बड़े शहरों में छोटे बड़े पार्क होते है। उनकी देखरेख उस शहर की नगर निगम या विकास प्राधिकरण करती हैं। आमतौर पर यह देखने में आया है कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण इन पार्को के सौन्दर्यकरण पर लाखों रूपये खर्च करते है, इनमें बड़े बड़े फूलों के पौधे लगाए जाते है और उनको कीमती गमलों में सजाया जाता है, इसके अतिरिक्त, बहुत कीमती पत्थर के स्टेच्यू लगाए जाते है और सजावटी और नाचते हुये फव्वारें लगाये जाते है और बड़ी सुन्दर लाइटिंग की जाती है जब यह सब कुछ लग जाता है तो पार्क बहुत ही सुन्दर और मनमोहक लगने लगते है, लोग काफी लालायित रहते है इस दृश्य को देखने के लिए और समय निकालकर उस पार्क में अवश्य जाते है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि देश के प्रत्येक बड़े शहर में ऐसे पार्को की देखभाल करने के लिए एक एजेन्सी नियुक्त की जाये जिसका काम पार्को की निगरानी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हो, इससे स्थानीय संस्थाओं ने जो पैसा पार्को के सौन्दर्यकरण में खर्च किया है उसका सदुपयोग हो सके।

(इति)

Re: Railway related issues of Bharatpur Parliamentary Constituency

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : मैं सरकार से मांग करती हूं कि भरतपुर जंक्शन पर सभी सुपरफास्ट ट्रेनो का ठहराव सहित कोरोना काल से बंद पडी फिरोजपुर -मुबईं जनता एक्सप्रेस को पुनः सुचारु रुप से चालू किया जाये। खेरली राजस्थान का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है तथा खेरली अनाज मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां दूर-दूर से हजारों व्यापारी कर्मचारी एंव मजदूर वर्ग आता हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि रेलवे स्टेशन की महत्वता को देखते हुए कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें जैसे आगरा कैंट-साबरमती गाड़ी संख्या 12547/12548, हावडा-जोधपुर गाड़ी संख्या 12307/12308, बिकानेर-हावडा गाड़ी संख्या 22307/22308 तथा अजमेर-सियालदाह गाड़ी संख्या 12987/12988 को खेरली रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to review decision to do away with the 'Registered Post' system in the country

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The Department of Posts have decided to do away with the Registered Post system in the country and have proposed to merge the Registered Post service with the Speed Post service for Domestic transmission. The cost for sending a registered post is Rs 26 and the speed post is Rs 42. The registered post system has played a crucial role in delivering documents of Banks, Passport Offices, Public Service Commission's correspondences, Police Station and other Government related correspondences as it could be received only by the addressee. In this regard, the move to merge the Registered Post and the Speed Post under the aim of streamlining the mail service, enhancing operational efficiency and delivering greater customer convenience to be implemented with effect from 01.09.2025 needs to be seriously reconsidered. I request the Department of Posts to put on hold this proposed move and conduct a thorough study and cost benefit analysis and the social and legal impact on the customers of this country, if the Registered Post is non functional. Once again, I urge to Government to withdraw the notification in the interest of this nation. (ends)

Re: Need to develop Eco-Tourism Infrastructure in Dhule, Maharashtra under Swadesh Darshan 2.0

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मैं माननीय पर्यटन मंत्री का ध्यान इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र, शांत समुद्र तटों, हरे-भरे जंगलों, से लेकर ऊंचे पहाड़ों और पश्चिमी घाटों, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तक विविध प्रकार के आवासों का घर है। प्राकृतिक सौंदर्य और व्यापक सांस्कृतिक विरासत महाराष्ट्र को इको-पर्यटन के लिए आदर्श बनाता है। वर्तमान में, भारत सरकार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (सीबीडीडी) के तहत देश भर में 5 इको-टूरिज्म परियोजनाएँ चला रही है, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी नहीं है। महाराष्ट्र में इकोटूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और सह्याद्रि पहाड़ियों के बीच बसा धुले जिला, तापी और पंजारा नदियों और लालिंग, कुरान और अलादाहरी झरनों और अनेर बांध अभयारण्य के साथ विविध वन्य जीवन का घर है। ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी खानदेश का हिस्सा, इसमें लालिंग, सोनगीर और भामेर जैसे प्राचीन किले भी हैं जो इसे इको-टूरिज्म के लिए आदर्श बनाते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत धुले, महाराष्ट्र में इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाये। (इति)

Re: Need to ensure payment of Minimum Support Price (MSP) guaranteed to farmers under Paddy Procurement Policy in Kerala especially in Palakkad district

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The farmers in Kerala, especially from the district of Palakkad are not getting payment against their produce supplied to the agency of the State Government of Kerala for the last several months. The delay in payment for the paddy procured by a government agency is pushing them into a debt trap or not even to go ahead with the sowing for the next season. The payment towards paddy provided by the farmers is given as loan through bank to them and loan liability towards payment made as a loan lies on their shoulders . The farmers were also not getting loan from bank for their other needs and Banks deny loans to them citing their low Credit Information Burau India Limited score. Due to non-payment against paddy procured by the agency of the State Government, many farmers have dropped paddy cultivation. Once upon a time the paddy cultivation in Kerala was above 9 lakh hectares and it has now been reduced to less than two lakh hectares of land and may go down further, if we do not take corrective steps in this regard. Therefore, it is urged that the Minimum Support Price guaranteed should be paid to the farmers in Kerala directly.

(ends)

Re: Need to build a 'Dwar'(Gate) on Haryana-Delhi border in honour of Pandit Lakhmichand, a poet of Haryanvi language

श्री सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत) : श्री पंडित लख्मीचंद जी, जिन्हें हरियाणा का 'सूर्य कवि' एवं 'हरियाणवी संस्कृति का जनक' माना जाता है, ने हरियाणा की लोक-संस्कृति, रागनी, किस्सागोई और सामाजिक चेतना को अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उनका साहित्य आज भी जनमानस को दिशा देने का कार्य कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति में एक भव्य द्वार का निर्माण हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर (जैसे सिंघु बॉर्डर, कुंडली, बहादुरगढ़ आदि क्षेत्र में) करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनके योगदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह स्थान हरियाणा और दिल्ली की जनता को सांस्कृतिक एकता, लोक परंपराओं और विरासत से जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय में संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to build hospitals equipped with modern facilities in Muzaffarnagar and Shamli districts in Uttar Pradesh

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : मैं सरकार एवं सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय, जनपद मुजफ्फरनगर, शामली में बड़ी तेजी से फ़ैल रहे जानलेवा बीमारियों कैंसर, हृदय रोग, पक्षाघात और लीवर फेलियर और इनके इलाज हेतु यहाँ पर्याप्त सुविधाओ के उपलब्ध ना होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवीन सुविधाओं से लैस अस्पताल नहीं है और जो हैं भी उनमे आधुनिक सुविधाये अपर्याप्त हैं इसलिए यहाँ के निवासियों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है जो बड़ा खर्चीला और कष्टप्रद होता है। अत: मुजफ्फरनगर और शामली में इन विशेष सुविधाओं से लैस एक अस्पताल की अत्यन्त आवश्यकता है तथा यदि यह संभव न हो तो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ स्थित अस्पताल में कैंसर, हृदय रोग, पक्षाघात और लीवर फेलियर के लिए विशेष देखभाल यूनिट (Special Care Unit) को उच्चीकृत किये जाने की आवश्यकता है। अत: मै आपके माध्यम से सरकार से इस विषय पर अविलम्ब ध्यान देने की मांग करता हूँ। (इति)

Re: Alleged irregularities in Public Distribution System

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र एटा (उत्तर प्रदेश) मे सिंगल स्टेज व्यवस्था में NFSA के अन्तर्गत खाद्यान F.C.I. से ट्रक द्वारा जैसे ही निकलता है, उसके बाद से ही तथाकथित तौर पर परिवहन ठेकेदार/मुनीम और जिलापूर्ति अधिकारी और सप्लाई इन्सपेक्टर का खेल शुरू हो जाता है। नियमानुसार ट्रक डीलर को दुकान तक जाना चाहिये पर ट्रक हर ब्लॉक में हर डीलर की दुकान तक नहीं जाता है। यहीं पर 'राशन माफिया', ठेकेदार तथा मुनीमों के साथ मिलकर डीलरों से बचत का राशन खरीद लेते हैं। खाली होकर ट्रक डीलर की दुकान की चौहद्दी में भेजा जाता है। हर ब्लॉक का ठेकेदार तथा मुनीम सीधे जिलापूर्ति अधिकारी से सीधे जुड़े हुए हैं। हर महीने जिलापूर्ति अधिकारी को बोरा बजन व अन्य योजनाओं आंगनवाडी, एम०डी०एम० के अंतर्गत यही लोग राशन माफिया के साथ सीधा बचत का हिसाब देते हैं। खर्चा काटकर डी०एस०ओ० और सप्लाई इंस्पेक्टर हर महीने मोटा पैसा कमाते हैं। जो कि डीलर बोरा का बजन मुनीमों/ठेकेदार प्रतिनिधि से मांगता है उसकी शिकायत ये मुनीम लोग डी०एस०ओ० से कर देते हैं। डी०एस०ओ० छापेमारी के नाम पर डीलर की दुकान पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से भी डीलर से पैसा वसूली करके लाते हैं। जो सप्लाई इन्सपेक्टर इनके हिसाब से नहीं चलता उसको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रान्सफर करते रहते हैं। शहर के हर ब्लॉक के डीलर 5000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से तथा देहात के डीलर 3000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से इकट्ठा करके तथाकथित तौर पर डी०एस०ओ० को देते हैं। जिले में 700 लगभग दुकानें हैं। डी०एस०ओ० अपने कार्यालय के बाबुओं को भी जो डीलर खर्चा दे जाते हैं उसमें हिस्सा मांगते हैं।

अत: मेरा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी ने निवेदन है कि उपरोक्त संबंध मे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for establishment of a modern cold storage with larger capacity in Musiri, Tamil Nadu

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): I wish to draw the attention of the Central Government to a matter of urgent public importance concerning the livelihood of banana farmers in the Musiri region of Tamil Nadu. The belt encompassing Musiri, Thottiyam, and Kulithalai, situated on the fertile banks of the River Kaveri, is one of the largest banana-producing hubs in the state. Our farmers cultivate several important varieties like Poovan, Rasthali, and Nendran, which are supplied across the country and form the backbone of the local agricultural economy. The presence of the ICAR's National Research Centre for Banana in nearby Tiruchirappalli further underscores the strategic importance of this region. Despite this, the entire region suffers from a severe lack of modern cold storage infrastructure. Banana is a highly perishable crop, and without adequate storage, our farmers are frequently compelled to resort to distress sales at throwaway prices, especially during peak harvest seasons. This results in significant financial losses and negates their year-long hard work. Therefore, I urge the Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare to intervene and sanction the establishment of a large-scale, modern cold storage facility in Musiri. This single step will empower our farmers, reduce post-harvest wastage, and significantly boost the rural economy.

(ends)

Re: Need for infrastructure facilities and technological upgrading in Industrial Training Institutes (ITIs) in Bapatla Parliamentary Constituency

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): I wish to bring to the attention of the Hon’ble Minister the infrastructural issues faced by the Government Industrial Training Institutes (ITIs) in my Bapatla Parliamentary Constituency. In Bapatla district—ITI Gudavalli was established in 1980 and the ITI Nizampatnam has been set up recently. Despite consistently achieving 100% admissions, strong student performance in the All India Trade Test, and high student placement rates, these institutes struggle with inadequate infrastructure. Despite their performance, both ITIs lack basic infrastructure, including proper classrooms, workshops, and amenities such as toilets, drinking water, fans etc. As a result, students are deprived of a conducive learning environment. Additionally, due to severe space constraints, they are also unable to introduce short-term skill development courses, limiting both the quality and reach of training. In light of their proven contribution to skill development and employability in the region, I urge the Hon’ble Minister of Skill Development and Entrepreneurship to allocate funds to these ITIs in my Parliamentary Constituency of Bapatla to strengthen their infrastructure and ensure technological upgradations. This will enable them to further the NDA Government’s vision of building a robust, skilled and modern workforce.

(ends)

Re: Need to expedite construction of airport in Bhagalpur, Bihar

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : भागलपुर के सुलतानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए 855 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। मार्च, 2024 में बिहार कैबिनेट ने भी इस परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसी वर्ष 19 फरवरी को इसका प्री-फिजिबिलिटी अध्ययन भी पूरा कर लिया है। राज्य स्तर पर प्रारंभिक कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इस कार्य को गति देने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वर्तमान में खगड़िया के निवासियों को हवाई यात्रा के लिए पटना या दरभंगा जैसे दूर के हवाई अड्डों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उनका काफी समय और संसाधन व्यर्थ होता है। इस हवाई अड्डे का निर्माण मेरे संसदीय क्षेत्र खगड़िया के लिए एक वरदान साबित होगा। खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और अन्य नजदीकी जिलों के निवासियों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित होगी। हवाई अड्डा बनने से देश-विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि भागलपुर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करें।

(इति)

Re: Acute shortage of water in Sikar district, Rajasthan

श्री अमरा राम (सीकर) : राजस्थान के सीकर जिले के 13 नगर निकाय एवं 900 गांव-ढाणियों में पेयजल की भयंकर समस्या बनी हुई है इन शहरों एवं गांव ढाणियों में पेयजल योजनायें भूमिगत जल पर निर्भर थी जो करीब-करीब सूख चुका है या अत्यधिक फ्लोराइड युक्त हो गया है जो पानी पीने लायक नहीं रहा है जिससे लोगो को काफी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसके समाधान हेतु वर्ष 2021 में सीकर एवं झुंझुनू को पेयजल उपलब्ध कराने के उदेश्य से कुंभाराम लिफ्ट योजना से जल जीवन मिशन पेयजल योजना में करीब 8000 करोड़ रूपये की योजना बनी हुई है लेकिन न तो आज तक जल का अलॉटमेंट हुआ है तथा न हीं राज्य सरकार द्वारा बजट की व्यवस्था करके टेंडर किया गया है तथा न हीं वर्क आर्डर किया गया है। अतः केंद्र सरकार एवं जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि अतिशीघ्र पानी अलॉट करके इसकी स्वीकृति जारी करके काम शुरू किया जाए जिससे प्यासी शेखावाटी के लोगों की प्यास बुझाई जा सके। जल जीवन मिशन को 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इस योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है जो चिंता का विषय है अत: अतिशीघ्र पेयजल की समस्या का निदान किया जाये।

(इति)

Re: Alleged forceful acquisition of land without payment of compensation under Bharatmala Project in Aurangabad district, Bihar

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : औरंगाबाद ज़िला में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किसानों के साथ हो रहे घोर अन्याय हो रहा हैं। हाल ही में एक्सप्रेसवे निर्माण के नाम पर किसानों की सैकड़ों बीघा खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। यह कार्य बिना पूर्व सूचना, उचित मुआवज़ा और किसान की सहमति के किया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। कृषि प्रधान देश में, जहाँ अन्नदाता को भगवान कहा जाता है, वहीं किसानों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। इस परियोजना से किसानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें मुआवज़ा भी नहीं दिया गया और जबरन भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाए, जिनकी फसलें रौंदी गई, उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए, और भविष्य में किसी भी विकास परियोजना में किसानों को विश्वास में लेकर ही कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में किसानों की सुरक्षा और अधिकारों का प्रश्न है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और प्रभावित किसानों को न्याय दिया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Rashtriya Makhana Vikas Board in Purnia district, Bihar

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला, देश में 70% से अधिक मखाना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मखाना उत्पादन की परंपरा, उसकी गुणवत्ता, निर्यात क्षमता और स्थानीय किसान समुदाय की जीविका पूर्णिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित "मखाना बोर्ड" की स्थापना हेतु दरभंगा को प्रस्तावित करना अत्यंत अन्यायपूर्ण एवं अव्यावहारिक है। पूर्णिया को पहले ही भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया जा चुका है, जिससे इसकी विशिष्टता और क्षेत्रीय पहचान को मान्यता मिली है। यह क्षेत्र लंबे समय से मखाना आधारित कृषि, अनुसंधान एवं व्यापार का केन्द्र रहा है। यहां के किसानों, उत्पादकों और सहकारी समितियों ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है । पीएमओ की ग्रिवांस सेल द्वारा दरभंगा को उचित बताना, तथ्यों और जमीनी वास्तविकताओं के विपरीत है । इस निर्णय से न केवल पूर्णिया के किसानों में आक्रोश है, बल्कि इससे एक सफल कृषि मॉडल को नजरअंदाज करने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति भी उजागर होती है। अतः सरकार से आग्रह है कि पूर्णिया जिले में ही "राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड" की स्थापना हो।

(इति)

Re: Need to establish a Sub-Regional Office of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) at Sangli or Kolhapur in Maharashtra

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I wish to draw the attention of the Government to the demand for the establishment of a Sub-Regional Office (SRO) of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) at Sangli or Kolhapur. The demand is due to the increasing burden on Stakeholders from these regions and the substantial contributions made by them to the ESIC System. Over the last 3 years, there has been a significant increase in both the employer registrations and insured persons. The employers are required to visit the SRO Pune, which is 200 Km away from Sangli-Kohlapur region, for personal hearings and regulatory issues, resulting in unnecessary travel, financial burden and loss of productivity. Other Government Departments such as the GST, IT and EPFO already have their Regional Offices catering to the local population. It is also suggested to introduce a system of faceless hearings to reduce the need for physical presence in many cases to ensure faster and more transparent adjudication. I, therefore, urge the Hon'ble Minister of Labour and Employment, to consider this matter of the establishment of an ESIC SRO at Kolhapur which would give effect to decentralisation, administrative efficiency, and accessibility.

(ends)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, शून्यकाल ले रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों के महत्वूपर्ण विषय हैं। कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात को रखें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें। क्या आप लोग शून्यकाल नहीं चलाना चाहते हैं? बहुत सारे सदस्यों को अपनी बात रखनी है।

… (व्यवधान)

(1220/KN/HDK)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिये। सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप शून्य काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1220 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/ANK/PS)

1500 बजे

लोक सभा पंद्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी लोगों की उपस्थिति का धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 20, भारतीय पत्तन विधेयक।

माननीय मंत्री जी।

1501 बजे

(इस समय डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. मल्लू रवि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

… (व्यवधान)

INDIAN PORTS BILL

1502 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Respected Sir, I beg to move:

> “That the Bill to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India’s coastline; establish and empower State Maritime Boards for effective management of ports other than major ports; establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector; provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation, and data at ports; ensure compliance with India’s obligations under international instruments to which it is a party; take measures for the conservation of ports; provide for adjudicatory mechanisms for the redressal of port-related disputes; and address matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

"That the Bill to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India's coastline; establish and empower State Maritime Boards for effective management of ports other than major ports; establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector; provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation, and data at ports; ensure compliance with India's obligations under international instruments to which it is a party; take measures for the conservation of ports; provide for adjudicatory mechanisms for the redressal of port-related disputes; and address matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री दिलीप शइकीया जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आप सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दूंगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : उज्ज्वल रमण सिंह जी, आनंद जी, मैं आप सभी को इस विधेयक पर बोलने का अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अभी मैंने दिलीप शइकीया जी को बोलने के लिए कहा है।

… (व्यवधान)

1503 hours

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Indian Ports Bill, 2025.

Sir, it is a landmark reform that will redefine the legislative contours of India's maritime landscape. We have 11,098 kilometres long coastline, which is not just a geography, but it is the economic spine of a four trillion-dollar economy, powering over 95 per cent of our trade by volume and nearly 70 per cent by value. I have often said, 'Ports are not merely gateways for goods; they are catalysts for transformation, engines of employment, and anchors of sustainable development'. … (*Interruptions*)

सर, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में इनलैण्ड वाटर वेज़, पोर्ट्स और शिपिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत की अर्थनीति को बल मिला है और भारत की अर्थनीति के नाते यह बन पाया है। … (व्यवधान) इसके लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

(1505/RAJ/SNL)

सर, माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनेवाल जी के नेतृत्व में भी इस पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी सारी उपलब्धियां हासिल की है।…(व्यवधान)

सर, मैं नॉर्थ-ईस्ट रीजन से बिलाँग करता हूं।…(व्यवधान) भइया, आप थोड़ा हमारी बात सुनने की कोशिश करें।…(व्यवधान) मैं नॉर्थ-ईस्ट रीजन की बात बोल रहा हूं।…(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए।…(व्यवधान) गौरव गोगोई जी, आप हमारी बात सुनिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : माननीय दिलीप शइकीया जी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूरे देश का विषय है। आप सभी को भी इस पर बोलने का अवसर मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी दिलीप शइकीया जी की बात सुन लें, फिर हम आप सभी को इस विधेयक पर और चर्चा करने का अवसर देंगे।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Dilip Saikia's speech.

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सभापति महोदय, मैं नॉर्थ-ईस्ट के विषय को एड्रेस कर रहा हूं।…(व्यवधान)

सर, आज जिस हिसाब से पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी इंलैंड वाटर पोर्ट शिपिंग को इस मंत्रालय के द्वारा महत्व मिल रहा है, गुरुत्व मिल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ हमारे व्यवसाय का एक नया द्वार खुल गया है।…(व्यवधान) साउथ-ईस्ट एशिया का गेटवे गुवाहाटी है।…(व्यवधान)

सर, गुवाहाटी को मद्देनजर रखते हुए, आज हमारे पूर्वोत्तर को क्या-क्या मिला है, ये हम सभी को मालूम है, सदन को मालूम है।…(व्यवधान) हमने गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर, लाँगेस्ट रूट में

चलाया है।...(व्यवधान) यह लॉंगेस्ट रूट है।...(व्यवधान) हमने इसके माध्यम से अपने टूरिज्म के साथ-साथ हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जो सबसे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वह पूरे देश को गंगा विलास क्रूज के माध्यम से देखने का सौभाग्य मिला है।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने देखा है कि नॉर्थ-ईस्ट में जोगीघोपा में मल्टी लॉजिस्टिक हब बनाया गया है।...(व्यवधान) यह हमारे नॉर्थ-ईस्ट के लिए मोदी जी का उपहार है।...(व्यवधान)

सर, इसके साथ-साथ पूरे नॉर्थ-ईस्ट, असम, गुवाहाटी, पांडु में हमें क्रूज टर्मिनल्स मिले हैं, पैसेंजर्स टर्मिनल्स मिले हैं।...(व्यवधान) हमें कार्गो शिप्स और कार्गो वेसल्स मिले हैं।...(व्यवधान) कुल मिला कर हमें शिप्स रिपेयरिंग फैसिलिटीज नॉर्थ-ईस्ट, असम में मिला है।...(व्यवधान) सर, पचास साल यहां कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन एक भी वाटर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग पोर्ट मिनिस्ट्री को बताने लायक एक भी स्टेप कांग्रेस ने नहीं लिया है।...(व्यवधान) आज गौरव गोगोई जी बोल रहे हैं।...(व्यवधान) वह सुन रहे हैं।...(व्यवधान) वे यहां पर बहरे हो गए हैं।...(व्यवधान) जब डेवलपमेंट की बात होती है, तो वे सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं विशेष कर गौरव गोगोई जी का उल्लेख कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दिलीप शइकिया जी, केवल आप की बात रिकॉर्ड में जा रही है।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : इस विधयेक पर आप जो बातें कह रहे हैं, वही बातें रिकॉर्ड में जा रही हैं। किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(<u>व्यवधान</u>)... (<u>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सर, आज देश में जो पोर्ट कैपेसिटी है, वह पोर्ट कैपेसिटी नरेन्द्र मोदी जी के 11 सालों के कार्यकाल में 87 प्रतिशत तक एन्हांस हुई है।... (व्यवधान) इस देश में मेजर पोर्ट्स बन गए हैं।...(व्यवधान) Ships used to linger for nearly four days.... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया, आप अपनी बात को संक्षिप्त करें।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : शिप्स यहां से वहां तक जाने में चार दिन लगते थे।...(व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जे के नेतृत्व में, सर्बानंद जी के नेतृत्व में वहां 48 घंटे में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कार्गो पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ।...(व्यवधान) इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट में कोस्टल एरिया नहीं है, लेकिन रिवर एरिया बहुत है।...(व्यवधान) वहां ब्रह्मपुत्र, बराक और कपिली है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप अपनी बात को समाप्त करें।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मोदी जी ने नॉर्थ-ईस्ट को 20-20 नेशनल वाटर वेज तोहफा में दिया है।...(व्यवधान) इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) सर्बानंद जी ने इस बिल को यहां पर टेबल किया है, मैं भरतीय पतन विधेयक, 2025 को हृदय से सपोर्ट करता हूं।...(व्यवधान) मैं इसे पारित करने के लिए अपोजिशन से भी आह्वान करता हूं।...(व्यवधान) धन्यवाद।

(इति)

(1510/NK/SMN)

1510 hours

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Sir. I rise in support of the Indian Ports Bill today and I would like to debate on multiple issues in this Bill. In light of the decorum of the House, I would like to limit myself to a very few points today. … (*Interruptions*)

Our State is a very prosperous maritime State. We have a thousand kilometres of coastline. There are many developments that have benefited a North Eastern State of our country in the last decade in particular. The turnaround of the ships in major ports has halved from 93 hours to 48 hours today. Our international shipments ranking has improved from 44 to 23 in 2023. I welcome this initiative to integrate many things together on the port development and adjudication of many issues and ease of doing business on how to do trade, on how to do development of ports and identification of new ports. … (*Interruptions*)

In fact, in our State, our Chief Minister has ideated that at every 50 kilometres, we should have a port with a theme - one will be for petrochemicals and one will be for ship repair and shipbuilding. I am very glad that our Union Minister Shri Sonowal has visited us in Vizag and has done a major conclave with seven countries in the Bay of Bengal. … (*Interruptions*)

Also, on the cruise development, we already have two cruises and two more are coming. Of course, many more will come. I would love to debate on them another day but today. I whole-heartedly support, on behalf of our Party, this Bill and hope that this Bill is passed unanimously. … (*Interruptions*)

(ends)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप सभी लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा,

… (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting all of you to debate on the Bill. The entire nation is watching you. The entire nation is watching what you are doing. You have been elected to make a piece of legislation. आप यहां कानून बनाने के लिए आए हैं, आप दर्शन सिंह चौधरी जी की बात सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

1512 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसमें विश्वास, आंखों में भारत के समुद्री भविष्य का सपना, जुबान पर जोश, हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है,... (व्यवधान) यह बिल केवल कानून नहीं है, इक्कीसवीं सदी के भारत का समुद्र घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है, 1908 के कानून का दौर था जब हिन्दुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था, तब के पत्तन, तब की तकनीक, तब की सोच सब कुछ अलग थी। ... (व्यवधान) आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं, जहां माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख पत्तनों से संभालता है, ... (व्यवधान) सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, ... (व्यवधान) जो राष्ट्रीय जल मार्गों को सलाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। ... (व्यवधान)

बिल का मुख्य स्तंभ है, हमारी नयी ऊर्जा और नई संरचना, इसमें मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है। एमएसडीसी, केन्द्र और राज्य मिलकर एक साझा रणनीति बनाएंगे, टैरिफ और रणनीतियों में एकरूपता यही विकास की पहली शर्त है। ... (व्यवधान) स्टेट मैरिटाइम बोर्ड का गठन हुआ है, इससे राज्य और संघीय ढांचा मजबूत बनेगा, डिसप्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनी है, जिससे विवादों का छह माह के निपटारे की बात बिल में समाहित किया गया है। हाई कोर्ट तक अपील, न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। ... (व्यवधान) पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिन्दु है। पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण ताकि ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजाले की ओर बढ़ेंगे, ... (व्यवधान) यह बिल उतना ही उजाला लाता है, ... (व्यवधान) पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं, नई राहत दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7 हजार 5 सौ किलोमीटर लंबे तट पर केवल समुद्री रेत नहीं है बल्कि अवसरों का स्वर्ण द्वार है।

"लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है
कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती।"

(1515/IND/RP)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल से एक एकादृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन, चारों में संगम होता है। ... (व्यवधान) हमें कदम मिलाकर चलना होगा। इससे हमें लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान) सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लेकिन हमारे यहां पर नर्मदा मैया का पावन तट है और उसमें भी क्रूज जैसी व्यवस्था की जा रही है। ... (व्यवधान) नर्मदा मैया नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय सदस्य को बिल पर बोलने दें। आप वेल में हंगामा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बिल पर बोलना है तो आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आप सड़क पर भी धरना देते हैं। यह लोक सभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है। इस बिल को बनाने में आपकी भूमिका है।

… (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, नर्मदा नदी गुजरात की भी रक्षिणी है। … (व्यवधान) उस नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्द्धन का भी प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बिल को पारित कर हम भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा निर्णायक कदम उठाएंगे। … (व्यवधान) आज आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमाएं मजबूत हुई हैं इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और विपक्ष से भी अपील करता हूँ कि वे देशहित में इस बिल के समर्थन में आएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। … (व्यवधान)

मैं इसी भावना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(इति)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर इस महत्वपूर्ण बिल पर आपमें से कोई बोलना चाहता है तो आप सदन में व्यवस्था बनाकर रखें। अगर आप वेल से जाएंगे तो मैं आपको बोलने के लिए एलाऊ करूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आपको कानून बनाने के लिए जनता ने चुनकर भेजा है और आप इस बिल की चर्चा में मौजूद हैं। श्यामकुमार बर्वे जी, जावेद साहब, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। दीपेन्द्र जी, आप इन्हें कहिए कि ये अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। मैं इस विधेयक पर सभी को बोलने का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप सदन को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर सदन में कानून बनाने के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आई है और अगर उस पर आप बोलना चाहते हैं तो कृपया आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

1517 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Respected Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to reply to the debate on the Indian Ports Bill, 2025.

I am, especially, thankful to hon. Members of Parliament Dilip Saikia ji, Sribharat Mathukumilli ji, and Darshan Singh Choudhary ji for their kind support and extensive elaboration about the significance of this Bill.

Sir, the Indian Ports Bill, 2025 is a strategic intervention to reposition India's maritime sector for the 21st Century. India's coastline, the economic backbone of a four-trillion economy, has seen a remarkable progress under the visionary leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi ji.

Sir, in the last decade, our port capacity has expanded by 87 per cent, and cargo handling surged to a historic high of 855 million tonnes. We have drastically cut down ship turnaround time by nearly 49 per cent through mechanisation and digitisation. The coastal shipping has increased by an astounding 118 per cent.

Sir, they are not just numbers, they are testimony to our rampant pursuit of efficiency and growth which is why nine of our ports now rank in the World Bank Global Container Port Performance Index. Despite this progress, we are still governed by a colonial relic, the Indian Ports Act of 1908. This outdated statute lacks provisions for long-term planning, modern environmental safeguards, and efficient dispute resolution. It is a legislative framework from a bygone era unsuited for a modern, and a digitised maritime ecosystem.

Respected Sir, the Indian Ports Bill, 2025, is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal States, industry stakeholders, and the public. It embodieds the spirit of cooperative federalism.

(1520/RTU/KDS)

Sir, the Bill contains 11 Chapters and 85 Clauses that mainly focus on optimum utilisation of India's coastline by promoting integrated planning and strategic development of our ports through a robust consulting framework between the States and the Centre. This Bill introduces several forward looking reforms. Number one is integrated planning. … (*Interruptions*) It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommended body to

facilitate integrated long-term planning and data-driven decision making across all ports. The Bill introduces State-level Resolution Committees to provide fast, efficient and transparent mechanism for resolving port related dispute.

Sir, then we have the environmental and safety compliance. … (*Interruptions*) It mandates that all ports comply with International Conventions like MARPOL requiring them to have robust plans for emergency preparedness, pollution prevention, and disaster management.

Sir, digital integration is also a very important aspect of this particular Bill. In line with our international obligation, this Bill empowers the Government to direct ports to establish a Maritime Single Window System enabling seamless electronic data exchange, improving the ease of doing business. … (*Interruptions*)

Sir, this Bill is meticulously designed to align with the best global practices. With this, Sir, I request the House to pass the Bill. Thank you.

(ends)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है:

> "कि पत्तन से संबंधित विधि का समेकन करने, पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम और संदूषण के लिए उपबंध करने, अंतरराष्ट्रीय लिखत, जिसका भारत पक्षकार है, के अधीन देश की बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने; पत्तन के संरक्षण के लिए उपाय करने, भारत में गैर-महापत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्रीय बोर्डों की स्थापना और सशक्त करने; पत्तन से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णायिक तंत्रों का उपबंध करने; पत्तन के क्षेत्र की संरचनात्मक वृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए समुद्रीय राज्य विकास परिषद् की स्थापना करने; भारत की तटरेखा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, श्री सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री के. राधाकृष्णन जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, श्री डी.एम. कथीर आनन्द जी, श्री हैबी ईडन जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी और श्री बैन्नी बेहनन जी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों में अपने-अपने संशोधन दिए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या कोई भी माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता है? यदि नहीं, तो सभा की सहमति हो, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूं। क्या सभा सहमत है?

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 85 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 85 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोलह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1525 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1630/CS/UB)

1630 बजे

लोक सभा सोलह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1630 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री अक्षय यादव, डॉ. मोहम्मद जावेद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : महुआ जी, अभी सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई और अभी से आप वेल में आ रही हैं। आखिर क्यों आप वेल में आ रही हैं? आप लोग वेल में क्यों आ रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके सामने माइंस का एक महत्वपूर्ण विधेयक है। आपके सामने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 21, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक

1631 hours

THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration."… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, एक मिनट आप रूकिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आपने आज सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है, वह सही है।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के माइनिंग सेक्टर की स्थिति क्या थी, यह सभी लोगों को मालूम है।... (व्यवधान) सारा देश इसे जान चुका है।... (व्यवधान) कांग्रेस के राज में माइंस के बारे में हर दिन मीडिया में, हर दिन हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज में होती थी।... (व्यवधान) अलग-अलग कोर्ट्स के द्वारा अलग-अलग जजमेंट भी दिए गए।... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस का सिलसिला भी चला था।... (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2023 में एमएमडीआर एक्ट में तीन बार रिफॉर्म्स लाए गए।... (व्यवधान) आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस एक्ट में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स संसद के सामने लाए गए हैं, जो माइनिंग सेक्टर के हित के लिए हैं।... (व्यवधान) आज देश की डिमांड है कि माइनिंग सेक्टर के द्वारा रोजगार बढ़ना चाहिए, माइनिंग सेक्टर के द्वारा देश को क्रिटिकल मिनरल्स मिलने चाहिए।... (व्यवधान) भारत के माइनिंग सेक्टर को देखते हुए आज ये बदलाव इस एक्ट में लाये गए हैं।... (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2014 से पहले जो पार्टी सत्ता में थी, उस समय माइंस का अलॉटमेंट कैसे होता था?... (व्यवधान) एक सफेद पेपर के ऊपर कुछ लोग लिखकर देते थे और उन्हें ही माइंस अलॉटमेंट होता था।... (व्यवधान) आज स्थिति क्या है? ... (व्यवधान) वर्ष 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में नहीं आया है।... (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ आज माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए हैं।... (व्यवधान) पहले क्या स्थिति थी? ... (व्यवधान) पहले पूरा भ्रष्टाचार होता था।... (व्यवधान) पूरे माफिया लोग इसमें होते थे।... (व्यवधान) आज उस स्थिति में पूरा बदलाव हो गया है।... (व्यवधान) आपको मालूम है कि उनके राज में जो अलॉटमेंट हुए थे, लगभग 104 कोल माइंस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके उनका ऑक्शन करने के लिए आदेश दिया था।... (व्यवधान) उस समय यह स्थिति थी।... (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के आदेश पर जो बदलाव आज आए हैं, उनका पूरा समर्थन आज देश की जनता कर रही है।... (व्यवधान)

(1635/MNS/NKL)

इसीलिए मैं आज इन छह अमेंडमेंट्स के लिए सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। भारत के मिनरल्स की आज पूरी दुनिया में पुकार है।... (व्यवधान) जिओ पॉलिटिक्स हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड हैं। आज सेल फोन से लेकर विमान तक, एग्रीकल्चर से लेकर हरेक सेक्टर तक क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है।... (व्यवधान) डिफेंस से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। इसीलिए आज जो छह अमेंडमेंट्स आए

हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों से सुझाव लेकर सर्वसम्मति से इन अमेंडमेंट्स को पास कराएं। मैं इसके लिए अनुरोध कर रहा हूं।... (व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, be taken into consideration."

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि सभी लोगों के सुझाव लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने आज विस्तार से वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला है और इससे पूर्ववृत्ती सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला है। जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के विकास के लिए कुछ संशोधन लेकर आए हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स से स्टेट्स को ही फायदा होगा। यह बिल स्टेट गवर्नमेंट्स के हित में है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्रिटिकल मिनरल्स से जो रॉयल्टी आएगी, वह आपके स्टेट्स को जाएगी। यह बिल भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, लेकिन इसका जो पैसा आएगा, क्रिटिकल मिनरल्स की जो परमिशन दी जाएगी, उसकी जो भी रॉयल्टी होगी, वह सभी राज्यों को जाएगी। राज्यों में पैसा जाए, क्या आप इसका विरोध करेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर राज्यों में किसी अमेंडमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बिल से लाभ होना है, तो क्या आप इसका विरोध करना चाहेंगे? क्या आप राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं? इसमें आपके सुझाव जानने हैं। इसमें आपकी क्या राय है?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह क्रिटिकल मिनरल्स के स्कोप को बढ़ाने के लिए है। चाहे वह कोबाल्ट हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे कोल हो, उसमें जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चर्चा में भाग लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती मालविका देवी जी।

... (व्यवधान)

1637 hours

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Hon. Chairman, Sir, I rise today with a heart full of hope and a vision for a stronger, more prosperous Bharat. I rise to speak in support of a landmark piece of legislation, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025.... (*Interruptions*) This is a *Sankalp Patra*, a solemn promise and pledge to the people of our nation. It is a promise to unlock the immense treasures that lie buried in the heart of our motherland, and to ensure that this wealth becomes a tool for the empowerment of every single *Bharatiya*.... (*Interruptions*)

Beneath our feet is a repository of our past glory and the seed of our future prosperity.... (*Interruptions*) But for decades, the path to this prosperity has been riddled with obstacles. Our mining sector has been held hostage to outdated laws and regulatory constraints which have restricted ease of doing business.... (*Interruptions*) The past Governments had been unfair and we need to look into the annals of history as they did not do justice to our resources.... (*Interruptions*)

On the 21st December, 1957, the Minister of Mines and Oil, Shri K. D. Malaviya, introduced the Mines and Minerals (Regulation and Development) Bill, 1957.... (*Interruptions*) He treated the private sector with suspicion. Major minerals such as coal, lignite, minerals, oils, and iron ore under this Bill were not allowed for public sector.... (*Interruptions*) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, was further amended in 1972, and it was amended again in 1986. But the severe regulatory regime introduced by the MNDR in 1957 and the statutory amendments of 1972 and 1986 continued till the early 90s.... (*Interruptions*) The amendments in the Bill seemed to perpetuate the control of the Government. Today, Modi ji's dream is different. He wants to give out control of that. He is not the one who wants to control everything.... (*Interruptions*) He is working towards strengthening Bharat, the story of Bharat and unchaining the potential of India's mines and resources.... (*Interruptions*)

The Bill is a beacon of transparency, a catalyst for growth and a testament to our commitment to Antyodaya.... (*Interruptions*) The Bill will empower Bharat in three fundamental ways. First, it addresses the urgent need for critical minerals and secures their supply chains. From lithium to

cobalt and other rare earth elements, these minerals drive India's economic growth story…. (*Interruptions*)

(1640/VR/RV)

They are indispensable to a clean future through their usage in EVs and renewable energy. *....(Interruptions)* It would not be far from the truth to say that these minerals will drive Bharat's Amrit Kaal. *....(Interruptions)* The Bill empowers the Central Government to exclusively auction these mineral blocks, ensuring standardisation and reducing days, which was a big problem in the past. *....(Interruptions)* By fast-tracking the auction process, it will reduce our import dependence and enhance our strategic autonomy. *....(Interruptions)*

Secondly, the technological and engineering prowess of Indian talent will not be limited to our national boundaries. *....(Interruptions)* The amendment widens the scope of the National Mineral Exploration Trust (NMET) by allowing to fund exploration activities abroad as well. *....(Interruptions)* In the face of challenges to the global supply chains, this forward-looking decision by our Modi *Sarkar* will secure access to resources. *....(Interruptions)* The Bill has managed to exemplify the *mantra* of 'सबका साथ, सबका विकास।'… (व्यवधान)

Earlier, our private sector used to hesitate about mineral exploration due to the high risk nature of the enterprise. *....(Interruptions)* However, by introducing this, the Government has come forward with a clear message to the corporations. We stand shoulder to shoulder with you. *....(Interruptions)* We want to take India forward. *....(Interruptions)* We want to make Bharat successful. *....(Interruptions)* The licence provides an incentive, a share in the auction value of a mining lease, if a private explorer proves a resource. *....(Interruptions)*

The Bill enshrines the principle of sustainable and inclusive development. *....(Interruptions)* We are not just focused on what we extract from the earth, but also on what we must give back to the people and the environment. *....(Interruptions)* The strengthened provisions of the District Mineral Foundations (DMFs) are a revolutionary step. *....(Interruptions)* This is not charity; it is the right of everyone. *....(Interruptions)*

Odisha is a land of Gods. It is the land of Mahaprabhu Jagannath. *....(Interruptions)* It is also blessed with abundance of nature's bounty, which sadly was never used. *....(Interruptions)* For the people of Kalahandi, Keonjhar, Sundargarh, Koraput and Mayurbhanj, who still live amidst some of the richest iron ore and bauxite deposits, this Bill brings a promise of better life. *....(Interruptions)* The revenue generated from the transparent auction of these mines will transform the face of these districts. *....(Interruptions)*

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

… (व्यवधान)

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I am just concluding. *....(Interruptions)*

The DMF fund will bring a torrent of development. *....(Interruptions)* Think of the tribal communities of Kalahandi and how they will develop. *....(Interruptions)* The Bill is an emotional contract with the people of Odisha. *....(Interruptions)*

माननीय सभापति : कृपया अब आप अपने भाषण को समाप्त करें। आपकी बातें आ गयी हैं।

… (व्यवधान)

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Sir, I conclude with this last line. 'भारत की खान, मोदी जी का मान।'… (व्यवधान)

Thank you. *....(Interruptions)*

(ends)

1643 horus

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you hon. Chairperson Sir. I rise to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. *....(Interruptions)*

In the last 10 years under the NDA Government, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, India's mining sector has seen strong and sustained growth. *....(Interruptions)* Since 2015, 385 mineral blocks have been auctioned with 50 mines already in production. Iron ore production more than doubled from 129 million tonnes in 2014-15 to a record 289 million tonnes in 2024-25. *....(Interruptions)* Limestone production rose significantly from 295 million tonnes to 406 million tonnes in the same period. *....(Interruptions)* The sector's Gross Value Addition increased from Rs.2.9 lakh crore to Rs.33.18 lakh crore between 2014-15 and 2022-23. *....(Interruptions)* This Bill builds on that progress by improving transparency, accelerating approvals, and empowering States. These are all essential steps towards India's mineral security and continued economic growth. *....(Interruptions)*

I wish to highlight some of the most commendable provisions of the Bill. *....(Interruptions)* Clause 2, which defines and facilitates a regulated mineral exchange, is a game-changer. *....(Interruptions)* This will bring transparency and fair price discovery aligning us with global benchmarks like the London Metal Exchange. *....(Interruptions)* It eliminates the opaque practices of the past, boosts investor confidence, and ensures that the public gets its due share of the mineral wealth. *....(Interruptions)*

Clause 3 allows for a one-time contiguous area extension for deep-seated mineral leases. *....(Interruptions)* This is a pragmatic approach that will significantly accelerate the exploration and production of critical minerals like lithium, cobalt, and rare earths, which are vital for our energy transition and strategic resilience. *....(Interruptions)*

Clause 6, which removes the need for prior Central Government approval for certain licences, is a powerful example of cooperative federalism. *....(Interruptions)* By empowering States, this provision streamlines the licensing process, reduces red-tapism and enables faster operationalisation of mines. *....(Interruptions)* This is a win for both State revenues and the national goal of mineral self-sufficiency. *....(Interruptions)*

(1645/PBT/MY)

Coming to my home State, Andhra Pradesh, while the Central Government has been driving progressive reforms, unfortunately, our State's mining sector has faced severe setbacks in the last five years. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): The previous administration's so-called 'free-sand' policy was disastrous. It resulted in widespread environmental destruction, including riverbed degradation, and led to an estimated loss of near about Rs. 7,000 crore. But today, under the dynamic leadership of our new Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, things are finally turning around. We are bringing transparency back. Our new Mines and Minerals Policy, 2025, will resolve nearly 1,900 pending cases through a one-time settlement scheme. By reviving the first-come, first-served policy for mines and minerals, we are encouraging new … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your point is already well taken. Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): In Andhra Pradesh and other States, royalty on limestone is levied based on mined quantities, but proximity of limestone mines to cement plants makes accurate estimation difficult, leading to revenue losses. … (*Interruptions*) To address this, royalty can be charged on a pro rata basis on cement production, calculated from the limestone required to manufacture it. … (*Interruptions*) This method will simplify monitoring and improve transparency, and ensure that the State gets its rightful revenue without relying solely on direct mine output measurements. Clinker and fly ash are sometimes mixed to make bricks. … (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken and your point has been well taken.

Gurumoorthy ji.

… (*Interruptions*)

1647 hours

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, hon. Chairman Sir for giving me the opportunity to address the Mines and Minerals Amendment Bill, 2025, which seeks to modernise India's mining laws. The Bill introduces several transformative reforms but also raises serious concerns that must be addressed to ensure inclusive and responsible development. … (*Interruptions*)

I will address some few positive points. … (*Interruptions*) In Section 6A, the Bill allows a one-time expansion of mining lease areas for deep-seated minerals – up to 10 per cent for leaseholders and 30 per cent for composite licence holders. This enables mining of contiguous deposits deeper than 200 metres, reducing operational costs and improving resource utilisation. … (*Interruptions*)

Under Section 15B and the Eighth Schedule, strategic and critical minerals added to existing leases will not incur additional charges. … (*Interruptions*) This benefits industries essential to defence, clean energy, and electronics, while reducing India's import dependence in key sectors.

Under Sections 8A and 18B, the 50 per cent sales cap on captive mines is removed, allowing full sale of surplus production. Additionally, the establishment of regulated mineral exchanges will ensure transparent, efficient, and competitive mineral trading. … (*Interruptions*)

There is some concern. This Bill omits explicit requirements for compliance with Article 338A(9), the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, and the Forest Rights Act. This undermines tribal rights in Scheduled Areas.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Shri Brijmohan Agrawal ji.

… (*Interruptions*)

1649 बजे

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्री जी. किशन रेड्डी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। उनके द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है।... (व्यवधान) यह एक ऐसा बिल है, जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के खनन एवं वन क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए 3 प्रतिशत डीएमएफ फंड को बढ़ाया है और रॉयल्टी को तीन प्रतिशत किया है। इससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं। छत्तीसगढ़ में 37 परसेंट कोल और लिग्नाइट है, 22 परसेंट आयरन है, 36 परसेंट लाइमस्टोन है, 12 परसेंट बॉक्साइट है।... (व्यवधान) परंतु इसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के बारे में अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा, जी किशन रेड्डी जी ने सोचा। इनके माध्यम से वहां तेजी से विकास होगा।... (व्यवधान)

(1650/GG/SNT)

हमारे ऐसे जो मिनरल्स हैं, जैसे लिग्नाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, दुर्लभ मृदा है, छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है। ... (व्यवधान) उन खनिजों के माध्यम से हमारी बैट्रीज़ के लिए जो लिथियम मिलता है। ... (व्यवधान) उस लिथियम के माध्यम से पूरे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारी सोलर ऊर्जा भी तेज़ी से विकसित होगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कृपया अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि डीएमएफ फंड का जो उपयोग है, वह उन क्षेत्रों में ठीक तरह से हो पाए, इसके लिए रेग्युलेशन इस नियम में लाया गया है। ... (व्यवधान) पूर्व में, कांग्रेस की सरकार के जमाने में कोयला क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण गरीब क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। ... (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वंचितों के विकास के लिए यह कानून महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है।

श्रीमती संगीता देव जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान) आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान)

(इति)

1651hours

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. … (*Interruptions*)

I rise today in support of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025, and to place on record my strong support for its provisions. … (*Interruptions*)

This is not just a change in the law; it is a decisive step by our hon. Prime Minister towards securing Bharat's mineral future with foresight, efficiency, and strategic clarity. Minerals today are not only an economic resource; they are a strategic asset. Critical minerals are the new oil. … (*Interruptions*)

They will power electric mobility, renewable energy, advanced manufacturing, and defence capabilities. Securing them is as important as securing our borders. This Bill addresses several long-standing gaps in our mining framework. … (*Interruptions*)

(ends)

1652 बजे

कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : माननीय सभापति जी, भारत की ग्रोथ स्टोरी में माइनिंग सेक्टर एक इम्पॉर्टेन्ट पिलर है। ... (व्यवधान) सारे भारत की ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में रिन्युएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कटिंग एज टैक्नोलॉजीस में आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है। ... (व्यवधान) सभापति जी, आज भारत लिथियम में, अलग-अलग सैक्टर्स में विदेश पर डिपेंड है। ... (व्यवधान) भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन बहुत कम है। ... (व्यवधान) मिनरल बोलें तो कोल और एल्युमिनियम ही था। ... (व्यवधान) आज समय-समय पर, वर्ष 2015 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया गया है, उस कारण आज हरेक सैक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान) आज मैं जो बताना चाहता हूँ, आज क्रिटिकल मिनरल्स की जो इम्पॉर्टेंस है, उसको सभी लोगों को समझना चाहिए। ... (व्यवधान) सोलर पैनल से ले कर विंड टर्बाइन तक, एग्रीकल्चर से ले कर मेडिकल इक्यूपमेंट्स तक, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेल फोन से ले कर विमान तक, डिफेंस से ले कर स्पेस टैक्नोलॉजी तक, हर सैक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत बड़ी डिमांड है। ... (व्यवधान) इसके लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। ... (व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री जी जिस देश में जाते हैं, उस देश में अगर क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो उस टैक्नोलॉजी के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री बहुत प्रयास करते हैं। ... (व्यवधान) लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ... (व्यवधान) भारत सरकार ने भी प्रधान मंत्री जी के आदेश पर विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक संस्था भी ऑर्गनाइज़ की है। ... (व्यवधान) आज 'काबिल' नाम से एक पीएसयू भारत सरकार ने क्रिएट की है। ... (व्यवधान) उसके द्वारा आज लिथियम के लिए, अलग-अलग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम जांबिया जा रहे हैं, अर्जेंटीना जा रहे हैं। अलग-अलग देशों में जा कर भारत सरकार का, गवर्मेंट टू गवर्मेंट प्लान कर के, एमओयू कर के, उन क्रिटिकल मिनरल्स को भारत में लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, जिस जगह माइनिंग होती है, उस माइनिंग इफेक्टिड एरिया में, माइनिंग इफेक्टिड लोगों के लिए एक डीएमएफ की स्थापना की है। ... (व्यवधान)

(1655/YSH/VPN)

डीएमएफ के द्वारा आज माइनिंग इफेक्टेड एरिया, हेल्थ सेक्टर, एंप्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर, रोजगार आदि के विषयों पर काम चल रहा है। ... (व्यवधान) आज मैं बताना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डीएमएफ की स्थापना होने के बाद 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का अलग-अलग जिलों में एक्सपेंडीचर किया जा रहा है। ... (व्यवधान) जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, आदरणीय एमपीज़, एमएलएज़ एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ डीएमएफ का काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

पहले पूरे माइनिंग सेक्टर को राजनीतिक लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी रूलिंग पार्टी के लोग लूटते थे। ... (व्यवधान) आज नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद उनके द्वारा डीएमएफ की स्थापना करके पूरे विलेजेस में इफेक्टेड पीपुल्स के लिए वे काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक यूनिफॉर्म माइनिंग लिस्ट सिस्टम लाया गया है। ... (व्यवधान) आज माइनिंग इफेक्टेड एरियाज़ में डीएमएफ के साथ-साथ NMET के द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। ... (व्यवधान) आज NMET के द्वारा फाइनेंसिंग करके बड़ी और छोटी कंपनियां भी आई हैं। ... (व्यवधान) मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पूरा विपक्ष भी इस पर बिल का समर्थन करेगा, क्योंकि गांवों में एंप्लॉयमेंट देने के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी जिंदगी में उजाला लाने के लिए माइनिंग सेक्टर में आज काम हो रहा है। ... (व्यवधान)

सभापति जी, आज कुछ लोगों को माइनिंग सेक्टर में विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) कुछ लोगों को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है। कुछ लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) कुछ लोगों को इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) उनको भारत की पार्लियामेंट पर विश्वास नहीं है। ... (व्यवधान) उनको भारत की इलेक्शन व्यवस्था पर विश्वास नहीं है और उनको भारत की मीडिया पर भी विश्वास नहीं है। यह बिल माइनिंग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण पिलर साबित होगा। ... (व्यवधान)

सभापति जी, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते है और उसमें माइनिंग सेक्टर भी रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर होगा। यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पिलर होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब इस बिल का यूनेनिमसली समर्थन करें। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मुझे बहुत दुख है कि आप जिस पर डिमांड करना चाहते हैं और जिस पर आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप सभी वेल में हैं। आज वह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो ऑब्जर्वेशन दी है, उसके बारे में आपको पता है।

... (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: The entire nation is watching what you are doing. I am requesting you. The Supreme Court has made an observation on this particular subject. You must take a note.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

'कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(1700/AK/STS)

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL

1700 hours

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Item No. 22, hon. Finance Minister.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

MOTION RE: REFERENCE OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL TO SELECT COMMITTEE

1701 hours

HON. CHAIRPERSON: Item No. 23, hon. Finance Minister.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with your permission, I rise to move:

> "That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be referred to a Select Committee of the House.
>
> The names of the Members of the Committee will be decided by hon. Speaker.
>
> The terms & conditions regarding the Committee will be decided by hon. Speaker.
>
> The Committee shall make a report by the first day of the next session."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: क्या आपने सुना कि माननीय वित्तमंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? मणिक्कम टैगोर साहब, गोगोई जी क्या आपने सुना?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: She wants to send this Bill to a Select Committee.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप सेलेक्ट कमेटी का सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे?

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए।
>
> समिति के सदस्यों के नामों का निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
>
> समिति से संबंधित निबंधन और शर्तें माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णीत की जाएंगी।
>
> समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करेगी।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: औजला साहब, आप किसके विरोध में 'न' कह रहे हैं? क्या आपको पता है? यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है। क्या आप विरोध करेंगे कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को न जाए?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : चेयरमैन साहब, आज विपक्ष के साथियों ने जो व्यवहार किया है, वह हम सभी ने देखा है कि कागज का टुकड़ा चेयर की तरफ फेंका गया है और गंदी नारेबाजी की गयी है। … (व्यवधान) जिस सदन में हम लोग काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं। … (व्यवधान) इस सदन में हम लोग शपथ लेकर आये हैं, आज उसी सदन में आप लोगों ने चेयर की तरफ कागज फेंक कर सदन की गरिमा को गिराया है। … (व्यवधान) मैं इस घटना का खंडन करना चाहता हूं। यह सदन सबका है। यह देश का सदन है। यहां अपोजिशन पार्टी की मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। यहां इनकी मनमानी नहीं चलेगी।… (व्यवधान) हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। हम लोगों ने जिंदगी भर अपोजिशन में बैठ कर काम किया है। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। … (व्यवधान) हम लोग भी संघर्ष और प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। … (व्यवधान) कागज फाड़कर, यहां इस तरह की नाटकबाजी कर के, गंदी-गंदी बातें कर के, नारे लगा कर, कुर्सी पर कागज फेंक कर के, आप लोगों ने पूरे सदन की गरिमा को गिराया है। … (व्यवधान) मैं इसका खंडन करता हूं। … (व्यवधान) देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोगों ने बार-बार कहा है कि अगर आपमें हिम्मत है, तो चर्चा में भाग लें। हम लोग हिम्मत से काम करने वाले लोग हैं। … (व्यवधान) देश के सामने हम लोग बिजनेस लेकर आये हैं, बिल लेकर आये हैं, काम-काज लेकर आये हैं। … (व्यवधान) आप लोग चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ अनाप-शनाप बातें करते हैं और फिर आप कहेंगे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। … (व्यवधान)

सर, मैं आखिर में विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, अभी भी सुधर जाइए। अभी भी समय है, चर्चा में भाग लेकर देश के लिए काम करने के लिए अभी भी वक्त है। … (व्यवधान) समय बर्बाद मत कीजिए। हम लोगों को यहां सदन में काम करने के लिए भेजा गया है। … (व्यवधान)

(1705/MM/SRG)

हम लोगों को यहां बोलने के लिए भेजा है। … (व्यवधान) यहां तोड़-फोड़ करने और कागज़ उठाकर चेयर पर फेंकने के लिए नहीं भेजा है। … (व्यवधान) जनता ने आप लोगों को एमपी चुनकर यहां भेजा है। … (व्यवधान) आपकी कांस्टिट्यूएंसी के लोग आपकी हरकत देखकर कितने दुखी होंगे? … (व्यवधान)

महोदय, मैं इनकी हरकतों का आज यहां खंडन करना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज जो सदन में हुआ है, वह माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई भी उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य इस सदन में चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी, सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते हैं। आप सदस्यों को वैल में भेजते हैं। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद, आप सदस्यों को वैल में भेज रहे हैं। आप केवल सदस्यों को वैल में ही नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग चेयर पर कागज फेंकें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, आप उपनेता हैं और आप कम से कम जिम्मेदार हैं। आपको सदन में अपने सदस्यों को कहना चाहिए, वहीं आप स्वयं उकसाने का काम कर रहे हैं। यह दुख: का विषय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1706 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 अगस्त 2025 / 27 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।